वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
उत्तरांचल शासन

संख्या 248/IV (XI)/व.ग्रा.वि./बाएफ/2001
देहरादून : दिनांक : मार्च 21, 2001

कार्यालय ज्ञाप

1. उत्तरांचल में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से वित्त पोषित बाएफ के वर्तमान पशु विकास केन्द्रों के सुदृढीकरण तथा नये विकास केन्द्रों के संचालन हेतु उत्तरांचल राज्य के जनपदीय ग्राम्य विकास अभिकरणों तथा बाएफ के संयुक्त तत्वावधान में चलने वाले पशु विकास केन्द्रों के संचालन, प्रगति समीक्षा, अनुश्रवण, अनुसरण, मार्ग निर्देशन तथा नीतिगत विषयक निर्णय लेने हेतु राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय समीक्षा समितियों का निम्नवत गठन किया जाता है :

राज्य स्तरीय समीक्षा समिति :

1.	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन	पदेन अध्यक्ष
2.	सचिव, वित्त अथवा उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हों :	पदेन सदस्य
3.	अपर सचिव, पशुपालन एवं दुग्ध विकास :	पदेन सदस्य
4.	निदेशक, पशुपालन अथवा उनके प्रतिनिधि, जो अपर निदेशक स्तर से कम न हों	पदेन सदस्य
5.	निदेशक, डेयरी विकास अथवा उनके प्रतिनिधि, जो मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी स्तर से कम न हो	पदेन सदस्य
6.	मुख्य विकास अधिकारी :	पदेन सदस्य
7.	बाएफ संस्था के तीन नामित प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
8.	अपर सचिव, ग्राम्य विकास	पदेन सदस्य सचिव

2. राज्य स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक समय-समय पर, परन्तु कम से कम छः माह में एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी जिसमें निम्न

बिन्दुओं पर प्रमुख रूप से विचार किया जायेगा.

(क) बाएफ द्वारा किये गये कार्यों के स्तर एवं निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की समीक्षा,

(ख) जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत पर विचारोपरांत आवश्यक निर्णय,

(ग) बाएफ के पशु विकास केन्द्रों के संचालन व्यय राशि में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा प्रदत्त धनराशि में वृद्धि अथवा कमी करने के प्रस्तावों पर निर्णय,

(घ) प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अन्य विषयों पर विचारोपरान्त निर्णय,

2.1 बाएफ द्वारा संचालित केन्द्रों के संचालन में होने वाले सभी विवादों का समाधान राज्य स्तरीय समीक्षा समिति के अध्यक्ष (प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग) द्वारा किया जायेगा.

जिला स्तरीय समीक्षा समिति :

1.	मुख्य विकास अधिकारी	पदेन अध्यक्ष
2.	जिला मुख्य पशुधन विकास अधिकारी	पदेन सदस्य
3.	प्रबन्धक / प्रधान प्रबन्धक, जिला सहकारी दुग्ध संघ	पदेन सदस्य
4.	बाएफ संस्था के दो नामित प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
5.	ग्रामीण लाभार्थियों के तीन सक्रिय प्रतिनिधि जिनमें एक महिला होगी (निदेशक / मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी द्वारा नामित)	पदेन सदस्य
6.	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	पदेन सदस्य सचिव

3. जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार, या आवश्यकतानुसार इसके पूर्व भी अनिवार्य रूप से आयोजित की जायेगी,

3.1 उक्त समिति द्वारा प्रमुख रूप से निम्न बिन्दुओं पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा :

1. जनपद में बाएफ के पशु विकास केन्द्रों द्वारा सम्पादित कार्यों एवं उनके स्तर की समीक्षा,
2. भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण का प्रस्ताव प्रेषण,

3. केन्द्रों के स्थान परिवर्तन पर निर्णय.
4. नये केन्द्रों का पुनः वर्गीकरण.
5. उपकरण/संयंत्र जो जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की सम्पत्ति है, की मरम्मत, रखरखाव, नई खरीद अथवा रिप्लेस करने हेतु पर्याप्त धनराशि का भुगतान करने या न करने की संस्तुति.
6. जनपद के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति न होने की स्थिति में आगामी अग्रिम धनराशि को रोकने अथवा रोकी गई धनराशि का भुगतान करने या न करने की संस्तुति.
7. बैठकों में हुए विचार विमर्श, लिए गए निर्णय एवं मतभेदों आदि का विवरण भी कार्यवृत के साथ-साथ राज्य स्तरीय समीक्षा समिति के विचारार्थ प्रेषित करना.
8. प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं पर विचारोपरान्त संस्तुति.

4. बाएफ द्वारा निम्नलिखित कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जायेगा.

(क) स्थापित नये एवं पुराने पशु विकास केन्द्रों का संचालन करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करना.

(ख) लक्ष्य पूर्ति न होने पर रोकी गई धनराशि की स्थिति में बाएफ द्वारा केन्द्रों का संचालन जारी रखा जायेगा और लक्ष्यों की पूर्ति के आधार पर धनराशि को अवमुक्त कराया जायेगा.

(ग) बाएफ द्वारा कृत कार्यों के सापेक्ष मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 10वीं तिथि तक जिला एवं राज्य स्तरीय समीक्षा समिति के सदस्य सचिवों को प्रेषित किया जायेगा.

(घ) प्रत्येक 6 माह के अंतर पर केन्द्र संचालन व्यय का लेखा जोखा राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा.

(च) राज्य सरकार द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा वित्त पोषित पशु विकास केन्द्रों पर कृत्रिम गर्भाधान हेतु निर्धारित लेवी वसूल कर सम्पूर्ण प्राप्तियां राज्य कोषागार में जमा की जायेंगी.

(छ) यदि बाएफ फिक्सड कास्ट की प्राप्ति के 12 माह के अन्दर नये स्थानों पर केन्द्रों की स्थापना नहीं कर पाते है तो बाएफ द्वारा यह धनराशि संबंधित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को शासन

अथवा अभिकरण द्वारा नोटिस दिये जाने की तिथि से 3 माह के अन्दर धनराशि की प्राप्ति की तिथि से भुगतान की तिथि तक की अवधि का 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित, वापस किया जायेगा.

5. बाएफ, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं राज्य सरकार के मध्य होने वाला अनुबंध स्टाम्प पेपर पर तीन प्रतियों में निष्पादित किया जायेगा, जिसकी मूल प्रति बाएफ के पास रहेगी और द्वितीय तथा तृतीय प्रति क्रमशः राज्य सरकार एवं सम्बन्धित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के पास रहेगी.

बाएफ, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं शासन के मध्य निष्पादित होने वाले अनुबन्ध विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क की धनराशि बाएफ द्वारा वहन की जायेगी. जिन जनपदों में प्रोजेक्ट चल रहा है, उनके लिये भी अब उत्तरांचल राज्य के साथ नया अनुबन्ध किया जायेगा और उक्त अनुबन्ध निष्पादित करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निम्नवत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय:

(क) उत्तरांचल में बाएफ के सभी पशु विकास केन्द्रों का संचालन, नवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे केन्द्र, जिन्हें स्थानान्तरित किया गया है तथा नये स्थापित होने वाले केन्द्रों के संचालन हेतु बाएफ डेवलपमेन्ट रिसर्च फाउन्डेशन, सम्बन्धित जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों एवं उत्तरांचल शासन के बीच निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुबन्ध निष्पादित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :

(1) निष्पादित होने वाला वर्तमान अनुबन्ध, पूर्व अनुबन्ध के तारतम्यता में होगा, जो प्रथम चरण से सम्बन्धित विकास केन्द्रों के नौ वर्षों की प्रारम्भिक अवधि के पश्चात नवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रभावी माना जायेगा.

(2) पशु विकास कार्यक्रम राज्य सरकार के सम्बन्धित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं बाएफ डेवलपमेन्ट रिसर्च फाउन्डेशन द्वारा सामूहिक रूप से क्रियान्वित किया जायेगा तथा यह जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से एस.जी.एस.वाई. अवस्थापना मद से वित्त पोषित होगा.

(3) बाएफ, केन्द्रों के संचालन हेतु सम्बन्धित जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों से उपलब्ध कराये गये उपकरण, फर्नीचर, मोटर–

साइकिल आदि को उन्हीं केन्द्रों हेतु अथवा परिवर्तित स्थानों के केन्द्रों के संचालन हेतु प्रयोग करने के लिए अधिकृत होगा. नये स्थापित किये जाने वाले केन्द्रों के लिये सम्बन्धित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बाएफ को उक्त मदों पर वित्तीय सहायता नियमानुसार उपलब्ध करायेंगे.

(4) बाएफ द्वारा नये केन्द्रों का चयन/संचालन अथवा पुराने केन्द्रों के स्थान का परिवर्तन समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा.

(5) राज्य सरकार द्वारा नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक रू. 1,01,400.00 प्रति केन्द्र प्रतिवर्ष की दर से संचालित राशि का भुगतान किया जा रहा है जो राज्य स्तरीय समीक्षा समिति के अनुमोदन से परिवर्तित हो सकेगा. वार्षिक संचालन राशि का भुगतान दो छमाही किस्तों में भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि के आधार पर जिला स्तरीय संचालन समिति के अनुमोदन के पश्चात सम्बन्धित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा किया जायेगा. प्रथम वर्ष का भुगतान मूल अनुबन्ध के अन्तिम वर्ष हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्यों का 90 प्रतिशत पूर्ति हो जाने पर ही देय होगा. इसी प्रकार आगामी वर्षों में गत वर्ष तक के 90 प्रतिशत भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर ही बाएफ को भुगतान देय होगा. विस्तृत भुगतान प्रणाली का उल्लेख अनुबन्ध विलेखों में किया जायेगा. लक्ष्यों का निर्धारण भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार स्थान विशेष के आधार पर किया जायेगा.

(ख) बाएफ को देय संचालन राशि का भुगतान जनपद स्तरीय समीक्षा समिति के इस आशय के प्रमाणीकरण पर ही किया जायेगा कि बाएफ ने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कर ली है तथा केन्द्रों का संचालन संतोषजनक रूप से किया जा रहा है। सम्बन्धित जनपद के सभी केन्द्रों के लिये निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के योग की उपलब्धि के आधार पर उक्त संचालन राशि का भुगतान किया जायेगा।

(डा. आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या 248 (1)/IV (XI)/व.ग्रा.वि./बाएफ/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव वित्त, उत्तरांचल शासन, देहरादून.
2. अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन, देहरादून.
3. अपर सचिव, पशुपालन एवं दुग्ध विकास, उत्तरांचल शासन, देहरादून.
4. निदेशक, पशुपालन/अपर निदेशक पशुपालन विभाग, देहरादून
5. निदेशक, डेयरी विकास/मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, देहरादून.
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
8. श्री रमेश रावल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बाएफ डेवलपमेन्ट रिसर्च फाउन्डेशन, 109 महावीर भवन, सी–2 करमपुर काम्पलेक्स, नई दिल्ली, 15.
9. डा. ज्ञानेन्द्र पी. सिंह, अपर मुख्य कार्यक्रम संयोजक, बाएफ सर्किल कार्यालय, 128/187 वाई–1, ब्लाक किदवई नगर, कानपुर, 11.

(डा. पी.एस. गुंसाई)
अपर सचिव